भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 124
दिनांक 29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों का स्वयं के स्रोत से अर्जित राजस्व

+*124. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2017 से 2024 के बीच देश में ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत से अर्जित कुल राजस्व (ओएसआर) और प्रति व्यक्ति ओएसआर का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रति व्यक्ति उच्चतम और निम्नतम ओएसआर वाले राज्यों को दर्शाने वाले ओएसआर संबंधी राज्य-वार आंकड़े क्या हैं और इन असमानताओं के लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या सरकार ने ओएसआर के अर्जन में पंचायतों को पेश आ रही चुनौतियों, जैसे ओएसआर नियमों की कमी अथवा प्रशासनिक बाधाओं की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा क्षमता निर्माण संबंधी पहलों अथवा नीतिगत सुधारों सहित अधिक ओएसआर अर्जन के माध्यम से पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या पंचायतों के कार्यकरण और सेवा प्रदायगी पर निम्न ओएसआर के प्रभाव का कोई आकलन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"ग्राम पंचायतों का स्वयं के स्रोत से अर्जित राजस्व" के सम्बंध में दिनांक 29.07.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 124 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लेखित विवरण।

(क) से (ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243H के अनुसार, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को, ऐसे प्रयोजनों के लिए, तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि विधि द्वारा निर्दिष्ट है, समनुदिष्ट कर सकता है |

पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों के ओएसआर से संबंधित डेटा नहीं रखता है, क्योंकि "स्थानीय सरकार" होने के कारण, पंचायत राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें तथा पंचायतें प्रायः पंचायतों से संबंधित स्वयं के स्रोत राजस्व (OSR) डेटा साझा नहीं करती हैं। हालाँकि, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के ओएसआर की स्थिति की समीक्षा के लिए वर्ष 2022 में "ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्वयं के स्रोत (ओएसआर) से अर्जित राजस्व पर विशेषज्ञ समिति" का गठन किया। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लगभग 25595 करोड़ रुपये का ओएसआर एकत्र किया गया है और इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति वार्षिक ओएसआर लगभग 59 रुपये था। विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति ओएसआर में काफी भिन्नता है, जो गोवा में 1635 रुपये प्रति वर्ष तक है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, इन असमानताओं और ओएसआर सृजन में पंचायतों के सामने आने वाली चुनौतियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक हैं:

i. राज्य स्तर पर नियमों/दिशानिर्देशों का जारी न होना/नवीन न होना।
ii. राज्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कर/फीस/टोल टैक्स आदि लगाने की शक्तियों का अक्षरशः अपर्याप्त हस्तांतरण।
iii. कर/फीस आदि लगाने के किए पंचायतों का इच्छुक न होना ।
iv. पंचायती राज संस्थाओं के नागरिकों द्वारा सहयोग न करना और दोषियों को दंडित न करना;
v. पंचायती राज संस्थाओं की केंद्र और राज्य निधियों पर निर्भरता।
vi. ओएसआर के संग्रह के लिए बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी
vii. मौजूदा कराधान शक्तियों का पूर्ण उपयोग न करना।

पंचायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ओएसआर (2017-18 से 2021-22) **अनुबंध-I** में दिया गया है।

पंचायतों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार औसत प्रति व्यक्ति ओएसआर (2017-18 से 2021-22) **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) एवं (ङ) मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं के विकास के प्राथमिक उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य पंचायतों के स्वयं के स्रोत से अर्जित राजस्व में वृद्धि करने की क्षमता को बढ़ाना भी है। यह पंचायतों में आर्थिक विकास और आय में वृद्धि में अंतर को समाप्त करने हेतु सहायता प्रदान करता है।

पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएम-ए) के सहयोग से पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत से राजस्व (ओएसआर) सृजन (जनरेट करने) पर विशेष मॉड्यूल विकसित किया हैं। ओएसआर के विशेष मॉड्यूल के आधार पर 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी) का प्रशिक्षण शुरू हो गया है।

संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के तहत पंचायतों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत, पंचायती राज मंत्रालय ने 2025 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (एनपीआरडी) पर आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार (एएनपीएसए) का शुभारंभ किया है, और यह पहली बार है कि मंत्रालय ने स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) के संवर्द्धन के माध्यम से आत्मनिर्भरता में ग्राम पंचायतों के अनुकरणीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने और स्वीकार करने के लिए समर्पित विशेष श्रेणी पुरस्कारों को संस्थागत रूप दिया है। आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार (एएनपीएसए) का उद्देश्य पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) के संवर्द्धन के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के ओएसआर संग्रह को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए "समर्थ पंचायत पोर्टल" विकसित किया है। यह एक समर्पित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो कर और गैर-कर माँगों को सृजन (जनरेट) करने, कर रजिस्टरों के रखरखाव और राजस्व की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह डिजिटल सशक्तिकरण स्थानीय वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और विस्तारशीलता लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोतों के लिए आदर्श नियम तैयार करने हेतु एक समिति का भी गठन किया है, जो राज्यों के लिए अपने ओएसआर नियमों को तैयार करने या संशोधित करने में एक मानक के रूप में कार्य करेगा।

***

अनुबंध-I

(दिनांक 29.07.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 124 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध)

पंचायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ओएसआर (2017-18 से 2021-22)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.12	1.6	2.5	2.84	3.02
2	आंध्र प्रदेश	688.74	739.77	685.08	876.95	969.09
3	असम	25.98	25.63	15.25	21.22	26.65
4	बिहार	0	0	0	0	37.89
5	छत्तीसगढ़	166.51	144.8	159.69	132.57	141.5
6	गोवा	225.49	61.08	220.54	85.62	218.52
7	गुजरात	864.1	778.3	881.46	795.14	0
8	हरियाणा	50.58	108.56	83.73	71.99	60.06
9	हिमाचल प्रदेश	0.04	0.41	0.42	0.53	1.45
10	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	15.01	0	2.08
11	झारखंड	0.16	0.42	1.78	23.64	1.86
12	कर्नाटक	385.94	552.86	671.37	715.41	812.21
13	केरल	868.62	802.84	792.05	769.94	781.28
14	लद्दाख	0.28	0.07	0.09	0.04	0.05
15	लक्षद्वीप	0.04	0.04	0.04	0.01	0.03
16	मध्य प्रदेश	0	0	0	105.22	63.93
17	मणिपुर	0.61	1.06	0.18	0.2	0.41
18	मिजोरम	0.04	0.04	0.06	0.09	0.04
19	नगालैंड	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	38.82	44.26	42.13	43.14	0
21	पुद्दुचेरी	29.46	35.28	45.26	41.08	45.93
22	पंजाब	126.45	172.28	170.93	164.17	157.98
23	राजस्थान	40.98	40.9	49.48	66.35	56.73
24	सिक्किम	1.58	1.78	2.87	0	0
25	तमिलनाडु	731.93	795.24	433.49	209.3	411.55
26	तेलंगाना	397.54	425.66	321.02	278.25	292.98
27	त्रिपुरा	3.02	3.94	3.8	0	0
28	उत्तर प्रदेश	192.89	204.27	0	229.08	246.34
29	उत्तराखंड	14.17	15.41	14.4	13.26	16.21
30	पश्चिम बंगाल	522.63	502.88	487.23	198.43	464.66

		5378.74	5459.38	5099.84	4844.47	4812.46

स्रोत: ग्रामीण स्थानीय निकायों के ओएसआर पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

अनुबंध-II

(दिनांक 29.07.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 124 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध)

पंचायतों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रति व्यक्ति औसत ओएसआर वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक

क्रं.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	औसत ओएसआर (करोड़ रुपये में)	प्रति व्यक्ति ओएसआर (₹)
1	गोवा	162.25	1,635
2	पुद्दुचेरी	39.4	757
3	केरल	802.95	286
4	आंध्र प्रदेश	791.93	209
5	गुजरात	829.75	199
6	तेलंगाना	343.09	159
7	कर्नाटक	627.56	148
8	तमिलनाडु	516.3	109
9	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.42	94
10	पंजाब	158.36	87
11	छत्तीसगढ़	149.01	70
12	पश्चिम बंगाल	435.17	57
13	हरियाणा	74.99	41
14	सिक्किम	1.25	25
15	उत्तराखंड	14.69	20
16	मध्य प्रदेश	84.58	15
17	उत्तर प्रदेश	218.14	13
18	ओडिशा	42.09	11
19	राजस्थान	50.89	9
20	त्रिपुरा	3.59	9
21	असम	22.95	7
22	लक्षद्वीप	0.03	5
23	बिहार	37.89	4
24	लद्दाख	0.1	4
25	जम्मू एवं कश्मीर	3.42	3
26	झारखंड	5.57	2
27	मणिपुर	0.49	2
28	हिमाचल प्रदेश	0.57	1
29	मिजोरम	0.05	1
30	नगालैंड	0	0
	कुल	**5,118.98**	**59**

स्रोत: ग्रामीण स्थानीय निकायों के ओएसआर पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

***